Received through Email dt 20/07/26

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०
Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd

(बिहार सरकार का उपक्रम)

ISO 9001:2008, 14001:2004

पत्रांकः—बुडको/प्रो०-3155/25-18
दिनांकः— 17-07-26

पताः राजापुर पुल, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, पटना — 800001 / Rajapur Pul, West Boring Canal Road, Patna-800001, दूरभाष / Phone :- 0612-2558412
ई-मेल / E-mail: - mdbuidco@gmail.com, Website : http://buidco.in
CIN – U45200BR2009SGC014600

सकारण आदेश

हाजीपुर स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज फेज–2 योजना के संवेदक Amit Kumar, F-40, Vijay Nagar, Kankarbagh, B.H. Colony Patrakar Nagar Thana, Patna को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (बुडको) के अधीन उक्त योजना का Letter of Accptance (LOA) बुडको के पत्रांक–3169, दिनांक–08.08.2025 के माध्यम से निर्गत किया गया। योजना एवं संवेदक Amit Kumar के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:–

Sl No.	Name of the Project / Contractor Name	AA Amount / Date.	Agreement Value / Date & Completion Date	Main Component	Physical Progress in %	Financial Progress in %
1	हाजीपुर स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज फेज–2 **Amit Kumar**	₹ 129.74 Cr. Dated 13.02.25 (Phase 1 & 2)	₹ 52.8369167 Cr. Dt. 15.09.2025/ Dt. 14.03.2027	Drain - 12.232 KM DPS-02 Nos	0.00	0.00

1) संवेदक Amit Kumar के विरूद्ध परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–772/पटना, दिनांक–02.03.2020 द्वारा निर्गत पत्र से Amit Kumar (निबंधन संख्या–38/2014 प्रथम श्रेणी) को 10 वर्षों के लिए काली सूची में डाले जाने का वर्णन है। साथ हीं संवेदक Amit Kumar के विरूद्ध यह भी परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के सकारण आदेश ज्ञापांक–451, दिनांक–19.01.2023 से संवेदक Amit Kumar (निबंधन सं०–1160025) को अगले 10 वर्षों के लिए Blacklist किया जाना संसूचित किया गया है।

2) संवेदक Amit Kumar के विरूद्ध पुनः परिवाद प्राप्त हुआ है जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–5951, दिनांक– 21.11.2023 के माध्यम से Amit Kumar (RWD Reg. No-1160025) को आगामी 10 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है।

3) उक्त परिवादों के संबंध में बुडको के पत्रांक–459, दिनांक–11.02.2026 से जल संसाधन विभाग तथा पत्रांक–600, दिनांक–25.02.2026 से ग्रामीण कार्य विभाग से अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

4) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3332, दिनांक–16.03.2026 से सूचित किया गया है कि विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–5951, दिनांक–21.11.2023 द्वारा संवेदक Amit Kumar (Reg. No-1160025), पता–विजयनगर, पो०–लोहिया नगर, थाना–पत्रकार नगर, पटना को अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया गया है।

5) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1716, दिनांक–30.03.2026 से सूचित किया गया है कि विभागीय आदेश संख्या–772, दिनांक–02.03.2020 द्वारा संवेदक Amit Kumar (निबंधन संख्या–38/2014 प्रथम श्रेणी) को दस वर्षों के लिए कालीसूची में डाला गया। ततपश्चात संवेदक अमित कुमार द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No-14550/2019 दायर किया गया। अभियंता प्रमुख के समक्ष संवेदक द्वारा दायर अपील में सुनवाई के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय से न्याय निर्णय पारित होने तक एवं न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त के साथ विभागीय आदेश ज्ञापांक–2106, दिनांक–02.08.2021 द्वारा कालीकरण आदेश संख्या–772, दिनांक–02.03.2020 को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया। संवेदक द्वारा कालीकरण आदेश स्थगित किये जाने के उपरान्त CWJC No-14550/2019 को वापस लेने हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया। तदालोक में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–06.12.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्न है:–

> "After the matter was heard for some time, learned counsel for the petitioner, under instructions, seeks permission to withdraw the present petition reserving liberty to file a fresh petition, on the same and subsequent cause of action, placing on record the intervening

developments, if so required and desired. Permission granted with liberty, as prayed for. As and when any such petition is filed, the same shall be processed and listed on priority basis. Instant petition stands disposed of as withdrawn in the aforesaid terms"

जल संसाधन विभाग द्वारा पत्रांक–1716, दिनांक–30.03.2026 से संसूचित किया गया है कि उक्त न्याय निर्णय के आलोक में चूँकि स्थगन आदेश सशर्त निर्गत किया गया था एवं संवेदक द्वारा माननीय न्यायालय में दायर वाद CWJC No-14550/2019 को वापस ले लिया गया है। ऐसी स्थिति में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2106, दिनांक–02.08.2021 द्वारा कालीकरण आदेश को स्थगित रखने संबंधी आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है एवं विभागीय आदेश सं0–772, दिनांक–02.03.2020 वर्तमान में प्रभावी है।

6) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बुडको के पत्रांक–980, दिनांक–06.04.2026 के द्वारा संवेदक अमित कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई, कि आपके द्वारा बुडको की निविदाओं के साथ संलग्न Affidavit एवं Litigation History में जानबुझकर तथ्यों को छुपाकर निविदा प्राप्त किया गया है।

7) उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में संवेदक Amit Kumar द्वारा परिवाद की प्रति की मांग की गई ताकि माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब दे सके। इसी क्रम में Amit Kumar द्वारा अपने पत्रांक–14, दिनांक–17.04.2026 से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका दायर करने से संबंधित पत्र उपलब्ध कराया गया।

8) पुनः बुडको के पत्रांक–1156, दिनांक–27.04.2026 से अंतिम रूप से स्मारित करते हुए जवाब उपलब्ध कराने हेतु स्पष्टीकरण किया गया। संवेदक Amit Kumar द्वारा आपने पत्र सं0 16, दिनांक– 29.04.2026 द्वारा जबाव उपलब्ध कराया गया तथा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका के आलोक में निर्गत आदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई करने की कृपा की जाए। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के मूल अंश निम्नवत् हैः–

1. Learned counsel appearing on behalf of the Respondent-Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd. (BUIDCo), on instructions, submits that the petitioner will be furnished the necessary documents and given an opportunity of filling his explanation and, thereafter, only the necessary orders will be passed on metits.
2. Having regard to the same, the present writ petition is disposed of directing the Respondent-BUIDCo to furnish the documents which are stated to be the basis for issuing the show-cause notice and give a reasonable time to the petitioner for filling his explanation and, thereafter, pass a reasoned order duly taking into account the explanation submitted by the petitioner. It is expected that the principles of natural justice and equity will be followed by the authority.
3. With the above the directions, the present writ petition stands disposed off.

9) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका में प्राप्त आदेश के आलोक में पुनः बुडको के पत्रांक–1313, दिनांक–12.05.2026 से सारे वांछित दस्तावेज को संलग्न कर अंतिम रूप से स्मारित करते हुए जबाव उपलब्ध कराने हेतु संवेदक Amit Kumar को निदेश दिया गया।

10) उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में संवेदक Amit Kumar द्वारा अपने पत्रांक–33, दिनांक–15.05.2026 से जबाव उपलब्ध कराया गया, जिसमें जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग में पूर्व से Blacklist होने के बावजूद निविदा में भाग लेने एवं तथ्य छुपाने तथा निविदा के साथ संलग्न Affidavit एवं Litigation history के संबंध में कोई संतोषजनक एवं स्पष्ट उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया तथा अनावश्यक समय की मांग की गई। इनके द्वारा निविदा में संलग्न कागजात, जिसकी प्रति खुद ही इनके पास है, जिसकी भी अनावश्यक मांग इनके द्वारा की गई।

अतः यह स्पष्ट है कि उक्त योजना की निविदा में Amit Kumar द्वारा संलग्न Affidavit एवं Litigation History में 10 वर्षों के लिए कालीकृत कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक Amit Kumar द्वारा जानबुझकर तथ्यों को छुपाकर धोखाधड़ी / जालसाजी के आधार पर उपरोक्त तालिका में वर्णित कार्य की निविदा को प्राप्त किया गया है, जो बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) (vii) में वर्णित प्रावधान का उल्लंघन है।

<u>दिनांक–13.06.2026 को निविदा समिति द्वारा लिया गया निर्णय</u> :–

सम्यक विचारोपरान्त संवेदक Amit Kumar, F-40, Vijay Nagar, Kankarbagh, B.H. Colony Patrakar Nagar Thana, Patna जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा Blacklist तथ्यों को छुपाते हुए गलत Affidavit एवं Litigation History समर्पित कर निविदा प्राप्त करने के फलस्वरूप बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) (vii) के आलोक में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–154 सह पठित ज्ञापांक–5403 (S) दिनांक–18.06.2015 एवं नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना के पत्रांक–926, दिनांक–23.07.2018 एवं पत्रांक–1351, दिनांक–26.10.2018 के आलोक में निम्नांकित कार्रवाई संसूचित की जाती है:–

1. संवेदक Amit Kumar, F-40, Vijay Nagar, Kankarbagh, B.H. Colony Patrakar Nagar Thana, Patna के साथ विषयांकित योजना हेतु हुए एकरारनामा को निरस्त करते हुए समर्पित Performance Security & Additional Performance Guarantee को जब्त किया जाता है।
2. संवेदक Amit Kumar, Vijay Nagar, PS- Patrakar Nagar, P.O- B. H. Colony, Patna जो Infrastructure Developemet Authority (IDA), Bihar में निबंधित है, जिसकी निबंधम संख्या–IDA/28/ Class-I/ 22 श्रेणी–I दिनांक– 09.12.2022 से 08.12.2027 तक के लिए निबंधित है, को अगले 10 (दस) वर्षों के लिये कालीसूची में डालने हेतु संबंधित विभाग/कार्यालय को अनुशंसा की जाती है।

ह0/–
मुख्य महाप्रबंधक,
उत्तर बिहार उपभाग, बुडको।

ज्ञापांक:– 1994
पटना, दिनांक:– 17.07.26

प्रतिलिपि:–**प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख,** जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार / जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना / बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिग आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.26

मुख्य महाप्रबंधक,